



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ६, अंक १]

मंगळवार, जानेवारी ७, २०२०/पौष १७, शके १९४१

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 7th January 2020

NOTIFICATION

No. BYE. 2020/C.R. 21/20/XXXIII.—In pursuance of section 151, 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the following is published for General Information :—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
New Delhi 110 001, dated the 07th January 2020
Pausha 17, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MT-LC/18/2019-LAC.—WHEREAS, the seat of Tanaji Jaywant Sawant in the Legislative Council of the State of Maharashtra, elected from Yavatmal Local Authorities' Constituency, has become vacant on 24th October, 2019 (afternoon), by the reason of his election in Maharashtra Legislative Assembly, before the expiration of his term of office which was upto and including the 5th December 2022 ; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sections 151, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—

(A) calls upon the said Yavatmal Local Authorities' Constituency, in the State of Maharashtra, to elect, before 06th February, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Council of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election,—

(a) the 14th January, 2020 (Tuesday), as the last date for making nominations ;

(b) the 15th January, 2020 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations ;

(c) the 17th January, 2020 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;

(d) the 31st January, 2020 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and

(e) the 06th February, 2020 (Thursday), as the date before which the election shall be completed ; and

(C) fixes the hours from 8-00 a.m. to 4-00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

VARINDER KUMAR,
Principal Secretary to the Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 07 जनवरी, 2020
पौष 17, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं.100/महा.वि.प./18/2019-स्था. प्रा.— यतः महाराष्ट्र राज्य की विधान परिषद में यवतमाल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित तानाजी जयवंत सावंत का स्थान, उनकी पदावधि, जो 5 डिसंबर, 2022 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनका निर्वाचन महाराष्ट्र विधानसभा में होने के कारण 24 अक्टूबर, 2019 (अपराहन) से रिक्त हो गया है ; और

अतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 151, 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :—

(अ) महाराष्ट्र राज्य में यवतमाल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 06 फरवरी, 2020 (गुरुवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान परिषद में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे ;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख—14 जनवरी, 2020 (मंगलवार) ;

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख—15 जनवरी, 2020 (बुधवार) ;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख—17 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) ;

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा—31 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) ; और

(ङ) वह तारीख जिसको पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा—06 फरवरी, 2020 (गुरुवार) ;

नियत करता है और

(इ) 8-00 बजे पूर्वाहन से 4-00 बजे अपराहन तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

वरिन्दर कुमार,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

A. N. VALVI,
Deputy Secretary and Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

क्रमांक बीवायई. २०२०/प्र.क्र.२१/२०/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक ७ जानेवारी, २०२०.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) प्रधान सचिव, मा. राज्यपाल यांचे कार्यालय,
- (२) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई,
- (३) विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग,
- (४) जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, यवतमाळ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ,
- (५) निवडनस्ती.

शुभा बोरकर,

अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य.